संख्या–922 ई–2/तेरह–2018–46/2017

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 23 फरवरी, 2018

विषयः–वर्ष 2018–2019 के लिए आबकारी के दुकानों के व्यवस्थापन में हैसियत प्रमाण–पत्र के प्रयोग के संबंध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक अपने पत्र संख्या–जी–327/दस–लाइसेन्स–367/सुझाव आबकारी नीति 2018–19 दिनांकित 07.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें किसी जनपद में आवंटित दुकान/दुकानों हेतु आवेदक द्वारा प्रयोग की गयी हैसियत प्रमाण–पत्र की क्षमता अन्य जनपदों में भी दुकानों के आवंटन होने की दशा में उपयोग किया जाय अथवा नहीं, के संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या–432ई–2/तेरह–2017–46/2017 दिनांकित 09.02.2018 के द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए अवगत कराया गया था कि हैसियत प्रमाण–पत्र का प्राविधान मात्र अनुज्ञापी की पात्रता के आंकलन हेतु अनिवार्य अर्हता के रूप में किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि सफल आवेदक को दुकान आवंटित होने की दशा में राजस्व की सुरक्षा हेतु निर्धारित प्रतिभूति भी जमा करनी होती है।

3– उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018–2019 की आबकारी नीति के अनुसार एक जनपद में समस्त प्रकार की दुकानों के सापेक्ष अधिकतम दो दुकानें ही आवंटित हो सकती हैं। अतः उक्त के दृष्टिगत पुनः स्पष्ट करना है कि किसी आवेदक को ई–लॉटरी में चयन के फलस्वरूप किसी जनपद में वही दुकान आवंटित हो सकती है जिसके लिए वांछित हैसियत आवेदक की हैसियत प्रमाण–पत्र की सीमा के अंतर्गत है। इस प्रकार की उसी जनपद में दूसरी दुकान भी आवेदक को इसी हैसियत प्रमाण–पत्र के आधार पर आवंटित हो सकती है। पुनः इसी प्रकार की अन्य जनपदों में दुकानें भी आवेदक को उसके इसी हैसियत प्रमाण–पत्र के आधार पर आवंटित हो सकती है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।